

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

06 सितम्बर, 2021 (ई०)

सोमवार, तिथि-

[षष्ठम् (मानसून) सत्र]

15 भाद्र, 1943 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

--प्रश्नोत्तर--

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- मुख्यमंत्री प्रश्नकाल।
- (04)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

--: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (05)- श्री स्टीफन मराण्डी, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (06)- सर्वश्री प्रदीप यादव, बंधु तिकी एवं श्री नमन विकसल कोनगाही, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (07)- सर्वश्री चण्डेश्वर प्रसाद सिंह, अमित कुमार मण्डल एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया स०वि०स की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (08)- श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

क०पृ०३०/-

(02)

(09)- सुश्री अम्बा प्रसाद, श्री उमाशंकर अकेला एवं श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(10)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(11)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(12)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

(13)- योजना-सह-वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० रामेश्वर उरौंव द्वारा वित्तीय वर्ष-2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।

विशेष वाद-विवाद

(14)- "मँहगाई एवं उससे उत्पन्न स्थिति" पर विशेष वाद-विवाद।
(दूसरी पाली में दो घंटा)

(15)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

महेन्द्र प्रसाद

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-01/2021-...१०५५/वि०स०, राँची, दिनांक-...5.9.21.....

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उरौंव
05/09/2021

(महेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ०पृ०30/-

(20)

(03)

प्रतिष्ठान के अध्यक्ष महोदय को संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली - (00)

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०१/२०२१-२०४५/वि०स०, रॉंची, दिनांक- ५/९/२१

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

के सचिवी के आदेशों-केस प्रान्त प्रशासिक सेवा प्रशासन (01)
(वि०स०) प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

ज्ञाप संख्या:- कार्य०का०सू०-०१/२०२१-२०४५/वि०स०, रॉंची, दिनांक- ५/९/२१

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा, टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वि०स०) प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

- कार्य-सचिवी -

प्रशासकीय सेवा प्रशासनिक सेवा प्रशासन के सचिवी एवं-आप्त सचिवी के आदेशों-केस प्रान्त प्रशासिक सेवा प्रशासन (01)
(वि०स०) प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

सचिवी-आप्त सचिवी

(वि०स०) प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

(वि०स०) प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

(वि०स०) प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

(वि०स०) प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

(वि०स०) प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली

(वि०स०) प्रशासनिक सेवा, राज्य प्रशासन, दिल्ली